अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्याः 28 /2022 दिनांकःसितम्बर 13 ,2022

सेवा में,

1–समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2–जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।
6–समस्त सेनानायक पीएसी वाहिनी/एसडीआरएफ/वि0 परि0 सुरक्षा वाहिनी/एसएसएफ,उ0प्र0।

विषयः–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 (यथासंशोधित) के आलोक में विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप पारित दण्डादेशों का हिन्दी आदेश पुस्तिका (HOB) में अंकन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने तथा दण्ड देने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 (यथासंशोधित) के माध्यम से निर्धारित की गयी है। इस नियमावली की व्यवस्था के अनुपालन हेतु समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों/इकाईयों में अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रदत्त परिनिन्दा लेख या अन्य दण्डों की नियमित रूप से हिन्दी आदेश पुस्तिका (HOB) में प्रविष्टि नहीं की जा रही हैं, जिससे न केवल ऐसे दण्डों का अंकन चरित्र पंजिका में न होने के कई दृष्टांत सामने आये हैं, बल्कि दण्ड़ पत्रावली का समयावधि के पश्चात वीडिंग होने की दशा में कोई ऐसा अभिलेख नहीं बचता जिससे इस प्रकरण में न अंकित हुए दण्ड के बारे में पता लग सके।

2– आप सभी अवगत हैं कि हिन्दी आदेश पुस्तिका (HOB) में अंकित किये जाने वाली प्रविष्टि के सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के पैरा–15 में स्पष्ट रूप से अंकित है किः–

"अंग्रेजी की आदेश पुस्तिका (आर्डर बुक) प्रतिदिन, निरीक्षक से कम पंक्ति के न होने वाले अधिकारी द्वारा लिखी और अधीक्षक या उसकी अनुपस्थिति में मुख्यालय के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी। मुख्यालय को लौटने पर अधीक्षक प्रविष्टियों का परीक्षण करेगा और यह सत्यापित करेगा कि उसने अपनी अनुपस्थिति की कालावधि की प्रविष्टियों की जांच कर ली। यह पुस्तक उसकी पूर्णता के 45 वर्ष तक रखी जाती रहेगी, इसमें आरक्षी दल की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यपालक आदेश उदाहरणार्थ नियुक्ति, दण्ड, स्थानान्तरण, अवकाश, पद–स्थापना और रक्षकों (गार्ड्स) तथा पहरेदारों (एस्काट्र्स) के प्रदाय और मुक्ति के आदेश, प्रविष्ट किये जावेंगे।"

3– आप सभी भली भांति अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियम–04 के अन्तर्गत दण्ड प्रदान किये जाने पर उसका प्रभाव कार्मिक की प्रोन्नति, वित्तीय स्तरोन्नयन (ए.सी.पी.) एवं बोनस आदि पर भी होता है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा–15 में दण्ड की प्रविष्टि हिन्दी आदेश पुस्तिका (HOB) में किये जाने का प्रावधान होने के बावजूद कतिपय जनपदों/इकाईयों द्वारा दण्डादेशों की हिन्दी आदेश पुस्तिका (HOB) में प्रविष्टि किये जाने की कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक को दण्ड प्रभावी होते हुये भी कतिपय प्रकरणों में प्रदत्त दण्डों पर विचार नहीं हो पाता है, जिसका लाभ सम्बन्धित कार्मिक को मिलना स्वाभाविक है।

4– इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि जनपद/इकाईयों में नियुक्त अराजपत्रित कर्मियों को प्रदत्त परिनिन्दा व अन्य समस्त दण्डों की प्रविष्टि हिन्दी आदेश पुस्तिका (HOB) में नियमित रूप से की जा रही है। यह भी आवश्यक है कि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को निलम्बित, दण्डित किये जाने की प्रविष्टियां चरित्र पंजी के निर्धारित पृष्ठ/स्थान पर चस्पा करने के स्थान उसका अंकन यथा–स्थान चरित्र पंजिका में किया जाये जिसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाये।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत भविष्य में सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक, अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप दण्डादेश निर्गत करते समय आदेश की प्रति प्रतिसार निरीक्षक, शिविरपाल अथवा हिन्दी आदेश पुस्तिका अंकन हेतु अन्य सक्षम अधिकारी को अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि "हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु" तथा चरित्र पंजिका में दण्ड़ की प्रविष्टि के समय (HOB) नम्बर मय तिथि के अवश्य अंकित किया जाये। अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक इसका लगातार अनुश्रवण करते रहें तथा अपने भ्रमण/निरीक्षण के समय इस पर विशेष ध्यान रखें।

13/09/2022

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।